[illegible]

कार्यालय [illegible]

-: अनापत्ति आदेश :-

[illegible]

1. [illegible]	[illegible]
2. [illegible]	नहीं
3. [illegible] (क) [illegible] (ख) [illegible] (ग) [illegible]	 [illegible] [illegible] [illegible]
4. [illegible]	[illegible]
5. [illegible]	[illegible]
6. [illegible]	[illegible]
7. [illegible]	नहीं
8. [illegible]	नहीं
9. [illegible]	नहीं
10. [illegible]	नहीं

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 13/10/09

[illegible]

[illegible]

1. [illegible] — [redacted]
2. [illegible] — नहीं
3. [illegible]
   (क) [illegible] — [illegible]
   (ख) [illegible] — [illegible]

   [illegible]
4. [illegible] — [redacted] [illegible]
5. [illegible] — [illegible]
6. [illegible] — [illegible]
7. [illegible] — नहीं
8. [illegible] — नहीं
9. [illegible] — नहीं
10. [illegible] — नहीं

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :–

1. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजनार्थ नही किया जावेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर या राज्य सरकार के नियम 14 के अन्तर्गत बढ़ाई गई कालावधि के भीतर संपरिवर्तित भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराई गई प्रीमियम राशि समप्रहृत हो जावेगी।
3. नियम–4 में तथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नही किया जावेगा।
4. प्रमाणित शुदा ब्ल्यू प्रिंट के अनुसार इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार सड़क से दूरी छोड़नी होगी।
5. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन नंबर एफ. 6(26)राजस्व 6/2014/33 जयपुर दिनांक 06.10.2016 के नियम 19 बी की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
6. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किए बिना नही किया जावेगा।
7. आवेदक को......पेड़ हटाने की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि वह हटाये गये पेड़/पेड़ो के बदले तीन गुना छायादार या सघन पेड़ एक वर्ष के भीतर लगायेगा। यदि आवेदक इसमें असफल रहता है तो रू 500/–(पांच सौ) प्रतिवर्ष, लगाने से शेष रहे पेड़ों की संख्या के आधार पर जुर्माना राजस्व मद में वसूला जावेगा।
8. भू–स्वामित्व की जांच का पुर्ण अधिकार राजस्व विभाग को होगा।
9. आवेदक को बिना आपत्ति के प्रकरण से संबंधित आदेश व उक्त शर्तों की पालना करनी होगी तथा यदि भविष्य मे कोई राशि देय बनती हो तो जमा कराने के लिए बाध्य होगा।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

क्रमांकः–राजस्व/2017/1265 दिनांकः– 12/3/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:–

1. तहसीलदार बीदासर
2. सरपंच, ग्राम पंचायत साण्डवा पंचायत समिति बीदासर जिला चूरू
3. आवेदक जसवीर मेमोरियल पब्लिक शिक्षण संस्थान साण्डवा जरीये अध्यक्ष रामकुमार माली पुत्र भीकमचंद जाति माली निवासी ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

सचिव
जसवीर मेमोरियल पब्लिक शिक्षण संस्थान
साण्डवा (चूरू)

PRINCIPAL
JASVEER MEMORIAL P.G. COLLEGE
SANDWA - 331517 (CHURU)

नक्शा भूमि वाके ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू मे खेत खसरा संख्या 1705 / 1496 तादादी 2–04 बीघा में से भूमि तादादी 2.00 बीघा भूमि का जिसको जसवीर मेमोरियल पब्लिक शिक्षण संस्थान साण्डवा जरिये अध्यक्ष राजकुमार माली पुत्र भीकमचन्द जाति माली निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान प्रान्त जो शैक्षणिक प्रयोजनार्थ हेतु संपरिवर्तन करवाना चाहते है

पैमाना : सेमी 22 फुट
[illegible] भूखण्ड का आवेदक
संपरिवर्तन करवाना चाहते है

प्रस्तावित संपरिवर्तन भूमि का क्षेत्रफल

उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	वर्गफुट	वर्गमीटर
232.70	232.70	234	234	54451.80	5058.57

[illegible]

सचिव
जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान
साण्डवा (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

पटवारी
[illegible]

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

1. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी तथा आवेदक द्वारा जमा करायी गई प्रीमियम राशि समपहृत हो जावेगी।
3. नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
4. इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अन्तर्गत सड़क से दूरी छोड़नी होगी ।
5. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किए बिना नहीं किया जावेगा ।
6. भू-स्वामित्व की जांच का पूर्ण अधिकार राजस्व विभाग को होगा।
7. आवेदक को बिना आपत्ति के प्रकरण से संबंधित आदेश व उक्त शर्तों की पालना करनी होगी तथा यदि भविष्य में कोई राशि देय बनती हो तो जमा कराने के लिए बाध्य होगा ।

जिला कलेक्टर,
चूरू

क्रमांक: प. 12 (1) (27) राजस्व/2008 दिनांक 13/2/9

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़
2. तहसीलदार, सुजानगढ़
3. सरपंच,ग्राम पंचायत खण्डवा तहसील सुजानगढ़
4. श्री सतवीर धनखड़,सचिव,जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान खण्डवा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू ।
5. रक्षित पत्रावली ।

जिला कलेक्टर,
चूरू